08 जून, 2010 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 40वीं बैठक के लिए एजेंडा

<u>मद संख्या 40.1 :</u> विशेष आर्थिक क्षेत्र में सन्निकटता स्थापित करने पर दिशानिर्देश

एसईजेड के संबंध में सन्निकटता में छूट प्रदान करने के लिए समय समय पर अनुमोदन बोर्ड के विचार के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। 9 अप्रैल 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में खेड बहु उत्पाद्य एसईजेड, महाराष्ट्र के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के विचार के लिए एक समान मामला प्रस्तुत किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि ऐसे अनुरोधों से निपटने के लिए इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता है। तद्नुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र में सन्निकटता स्थापित करने से संबंधित प्रारूप दिशानिर्देश अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार के लिए अनुबंध 1 के रूप में प्रस्तुत है।

मद संख्या *40.2*: निजी एसईजेड विकासकों / यूनिटों को आपूर्तियों के लिए ड्राबैक के स्थान पर ड्यूटी की प्रतिपूर्ति

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 24 (1) (क) के अनुसार, एसईजेड विकासक / यूनिटों के ड्राबैक के दावे एसईजेड के कस्टम अनुभाग में प्रोसेस किए जाने होते हैं तथा निर्दिष्ट अधिकारी उक्त दावे के लिए संवितरण अधिकारी है।

केन्द्र सरकार के एसईजेड के निर्दिष्ट अधिकारियों को प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय द्वारा सीबीईसी के परिपत्र संख्या 43/2007-कस्टम दिनांक 5 दिसंबर 2007 (राजस्व विभाग की फाइल संख्या 602/2/2002-डीबीके) के अनुसरण में दावों के संवितरण के लिए चेक जारी करने की अपेक्षित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

तथापि, सीबीईसी द्वारा निजी एसईजेड के निर्दिष्ट अधिकारी को इस तरह की शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं। निजी एसईजेड के निर्दिष्ट अधिकारियों के पास ड्राबैक के दावों का संवितरण करने के लिए चेक आहरित करने की कोई शक्ति नहीं है जिसके कारण एसईजेड विकासक / यूनिटें निर्दिष्ट अधिकारी के पास ड्राबैक के दावे दाखिल करने में असमर्थ हैं।

निजी एसईजेड के निर्दिष्ट अधिकारियों को चेक आहरित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए सीबीईसी को सलाह देने के लिए मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ताकि वे एसईजेड नियमावली के प्रावधानों के अनुसरण में एसईजेड विकासकों / यूनिटों के ड्राबैक के दावों को प्रोसेस करने में समर्थ हो सकें।

<u>मद संख्या 40.3 :</u> एसईजेड में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए यूनिट स्थापित करने की नीति

अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि इस नीति को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। तद्नुसार प्रारूप नीति तैयार की गई है तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए अनुबंध 2 के रूप में प्रस्तुत है। (अनुबंध 2 अलग से परिचालित किया जाएगा)

मद संख्या 40.4 : **एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध**

कुछ यूनिटों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिसमें एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में लोकेशन को शिफ्ट करने का अनुरोध किया गया है। एसईजेड नियमावली में एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि, अधिक एसईजेड के क्रियाशील हो जाने पर व्यवसाय की आवश्यकताओं, प्रचालन से जुड़ी कठिनाइयों तथा लागतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनुरोध अक्सर प्राप्त हो सकते हैं। अंतरण के ऐसे मामलों में 3 **संभावनाएं हो सकती हैं** :

(i) **यूनिट ने कोई गतिविधि शुरू नहीं की है;**

(ii) **यूनिट ने माल का आयात / प्रापण शुरू कर दिया है परंतु निर्यात शुरू नहीं किया है या उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है और**

(iii) **यूनिट ने उत्पादन शुरू किया है तथा निर्यात करना आरंभ किया है।**

अनुमोदन बोर्ड को अनुमोदन समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ अनुमोदन समिति द्वारा एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में लोकेशन के ऐसे परिवर्तन को अनुमत करने के मामले पर विचार करना है। यदि विकास आयुक्त तथा अनुमोदन समिति एसईजेड के लिए भिन्न भिन्न हैं तो उस एसईजेड की अनुमोदन समिति से शिफ्टिंग के लिए पहले अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है जहां यूनिट स्थित है और फिर उस एसईजेड की अनुमोदन समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है जिसमें यूनिट शिफ्ट की जानी है। (ii) **और** (iii) **की स्थितियों में प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभों तथा राजकोषीय रियायतों के संबंध में मुद्दों का भी निराकरण करने की आवश्यकता हो सकती है।**

मद संख्या 40.5 : तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड का अनुरोध

10.24.225 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में यह एसईजेड** 23 **जनवरी**, 2009 **को अधिसूचित किया गया था। गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में नीचे उल्लिखित अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड के अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा** 11 **फरवरी** 2010 **को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था** :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**
1	**होटल (300 कमरे) सहित इंटीग्रेटेड कंवेंशन सेंटर (1500 सीटर)**	28126

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा संयुक्त सचिव (एसईजेड) को साइट का दौरा करने तथा अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसार अब निरीक्षण कर लिया गया है तथा मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड के उपर्युक्त प्रस्ताव पर रिपोर्ट अनुबंध 3 **के रूप में संलग्न है। इसे ध्यान में रखते हुए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

<u>मद संख्या 40.6 :</u> कार्रवाई क्षेत्र 2, **न्यू कोलकाता टाउनशिप, राजरहाट, कोलकाता में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने वाली इस विभाग की अधिसूचना दिनांक** 23 **फरवरी** 2010 **को रद्द करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध**

मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा राजरहाट, कोलकाता में 10.4813 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** 23 **जून,** 2008 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड के विमुक्तीकरण के लिए पहले अनुमोदन प्रदान करने की मांग की थी जिस पर विचार किया गया तथा** 2 **जून** 2009 **को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। इसलिए इस एसईजेड को** 23 **फरवरी,** 2010 **को विमुक्त किया गया। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने वाली अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध किया है कि भारत में आईटी / आईटीईएस यूनिट के लिए पट्टा पर स्थान प्राप्त करने के लिए मांग में काफी सुधार हो रहा है। इसके अलावा माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण** 2010 **में निवेश आकर्षित करने तथा निर्यात एवं रोजगार में वृद्धि के लिए एसईजेड का निरंतर विकास सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। विकासक द्वारा प्रस्तुत विस्तृत औचित्य अनुबंध** 4 **के रूप में संलग्न है। विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

<u>मद संख्या 40.7 :</u> विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
i.	मैसर्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन	नक्कापल्ली मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश	फार्मास्युटिकल्स - बल्क / एपीआई / फार्मुलेशन	120	नहीं	हां	नया
(ii)	केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	नेलीकोड एवं पंडीरकावू गांव, कोझीकोड जिला, केरल	आईटी / आईटीईएस	10.121	हां	हां	नया
iii	मैसर्स सीलैंड पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	गांव - लयाजा, रातादिया, गोधरा, बयाथ एवं उंडोथ, तालुक - मांडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	बहु उत्पाद	1112	आंशिक (590 हेक्टेयर)	हां	नया
iv	मैसर्स आवास लॉजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड	गांव - मोटा लयाजा, गोधरा, बयाथ, तालुक - मांडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	एफटीडब्ल्यूजेड	580	आंशिक (496 हेक्टेयर)	नहीं	नया

v.	मैसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	बर्गवान, जिला सिंगरौली (पूर्व में सिधी जिला), मध्य प्रदेश	एल्युमिनियम सेक्टर	2025	आंशिक (111.89 हेक्टेयर)	हां	नया
vi.	मैसर्स लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड	केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, हेब्बल - हूटागल्ली, मैसूर, कर्नाटक	आईटी / आईटीईएस	10	हां	हां	9 अप्रैल 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था। अब विकासक ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा मांगी गई सूचना / वचन पत्र प्रस्तुत किया है (अनुबंध 5)

*राज्य सरकार की सिफारिश

<u>मद संख्या 40.8:</u> सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) 12/1, सेक्टर 27डी, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स एस्पायर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एस्पायर इंफोसर्व प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध [अनुमोदन बोर्ड की 39वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा की मद संख्या 39.3]

फरीदाबाद, हरियाणा में 10.404 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एस्पायर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा एसईजेड 26 अगस्त, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स एस्पायर इंफोसर्व प्राइवेट लिमिटेड जो विकासक की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है, ने उपर्युक्त एसईजेड में आईटी भवनों के विकास एवं निर्माण के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 20 सितंबर, 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(ii) मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ई सेंट्रिक सोल्यसंश प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में 36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 28 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स ई सेंट्रिक सोल्यसंश प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 2.0234 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पूर्ण अवसंरचना जैसे कि विफ़त, पानी, सीवेज, ग्रीनरी तथा अन्य सामान्य सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 8 फरवरी, 2010 भी उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(iii) नायडूपेट और पेल्लाकुरु मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स प्राइम इलेक्ट्रिक लिमिटेड का अनुरोध

नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 1032.27 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित जा रहा बहु उत्पाद्य एसईजेड 16 फरवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स प्राइम इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 40.47 हेक्टेयर (100 एकड़) के क्षेत्रफल में पूर्ण अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 22 अप्रैल, 2010 भी उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन प्रस्तुत है।

प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स थ्री सी फेसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.0498 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 15 मई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स थ्री सी फेसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड में एसईजेड के उपकरणों, सेवाओं एवं कॉमन एरिया के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 9 अप्रैल 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि राजस्व विभाग (सीबीडीटी) के प्रतिनिधि ने और स्पष्टीकरण की मांग की थी। मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने पत्र दिनांक 11 मई 2010 (अनुबंध 6) के माध्यम से मैसर्स 3 सी फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाने वाली अवसंरचना सुविधाओं का ब्यौरा प्रदान किया है तथा कंपनी को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

मैसर्स मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उक्त एसईजेड 6472.8684 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया है। मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड ने 16.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कंटेनर फ्रेट स्टेशन तथा मालगोदाम की सुविधाओं के विकास एवं प्रचालन के लिए सह विकासक बनने के लिए अनुरोध किया है। प्रस्ताव पर 11 फरवरी, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था। बैठक का कार्यवृत्त नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :

> **"सीबीईसी के प्रतिनधि ने कहा कि एसईजेड में पहले से ही *10* सीएफएस हैं। एक अन्य सीएफएस के लिए औचित्य डीटीए कार्गो के लिए कार्गो की गतिविधि में वृद्धि के कारण है न कि एसईजेड कार्गो के कारण। डीटीए कार्गो के लिए एक अन्य सीएफएस की आवश्यकता हो सकती है। बताया गया कि यह बहुत बड़ा एसईजेड है तथा एसईजेड कार्गो के निर्मित होने की मात्रा काफी होगी। इसके**

अलावा मुंद्रा बंदरगाह अगले दो वर्षों में अपनी कंटेनर हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि करने जा रहा है जिससे अतिरिक्त सीएफएस क्षमता का सृजन करने की आवश्यकता होगी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि उपलब्ध कराए जाने के लिए संभावित कार्गो का मूल्यांकन किया जाएगा तथा फाइल पर प्रस्ताव की जांच की जा सकती है।

तद्नुसार, हितधारकों के साथ परामर्श करके तथा जेएनपीटी की वेबसाइट में सूचित डाटा से विकास आयुक्त, मुंद्रा पोर्ट एसईजेड ने मौजूदा 10 सीएफएस के अलावा प्रस्तावित सीएफएस द्वारा हैंडल किए जाने के लिए संभावित रूप से उपलब्ध कार्गो का विस्तृत मूल्यांकन किया है और पत्र दिनांक 9 मार्च 2010 (अनुबंध 7) के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

श्री डी के मित्तल, अपर सचिव की अध्यक्षता में 10 मई 2010 को इस मुद्दे पर बैठक भी हुई थी, जिसका कार्यवृत्त अनुबंध 8 के रूप में संलग्न है।

मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vi) पाजीरू, कैरांगलस, मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

65.571.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 24 अगस्त, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 6.88 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस अवसंरचना प्रदान करने के लिए सह विकासक बनने के लिए अनुरोध किया है। प्रस्ताव पर 11 फरवरी, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था। बैठक का कार्यवृत्त नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :

"सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने कहा कि एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए *2007* में केआईएडीबी द्वारा मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर भूमि प्रदान की गई थी। केआईएडीबी द्वारा भूमि का परकीयाकरण सीमित अवधि में परियोजना के निर्माण की कुछ शर्तों के अधीन भी होगा। चूंकि मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को यूनिट के रूप में भूमि पट्टा पर दी गई थी इसलिए उन्हें सह विकासक के रूप में अनुमोदित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को यूनिट के रूप में भूमि आवंटित नहीं की गई है। अतः सीबीडीटी का विरोध सही नहीं है। इसके बाद निर्णय लिया गया कि फाइल पर प्रस्ताव की जांच की जाएगी।

अब मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि 5 नवंबर 2007 को निष्पादित पट्टा विलेख का खंड 8 यह निबंधित नहीं करता है कि पट्टाधारी (लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड) संपत्ति का प्रयोग केवल यूनिट की स्थापना के प्रयोजनार्थ करेगा। तथापि, बाद में सह

विकासक करार दिनांक 9 नवंबर 2009 का खंड (घ) विशिष्ट रूप से सह विकासक के रूप में पट्टा पर दी गई संपत्ति का विकास करने के लिए पट्टाधारी को अधिकार प्रदान करता है। चूंकि सह विकासक करार बाद में निष्पादित किया गया दस्तावेज है इसलिए इस दस्तावेज द्वारा पट्टाकर्ता ने पट्टाधारी को सह विकासक के रूप में संपत्ति का विकास करने का अधिकार प्रदान किया है। इसलिए मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने सह विकासक के लिए अपने अनुरोध पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध की सिफारिश की है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) मुसालगांव एवं गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 1006.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नासिक, महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा बहु उत्पाद्य एसईजेड 27 अक्टूबर 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स इंडियाबुल्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में विभिन्न अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 22 मई, 2010 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 40.9 :</u> नागपुर, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुयोग रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

9 अप्रैल 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में कुछ अधिकृत प्रचालनों को अनंतिम रूप से मंजूरी प्रदान की थी जिसका ब्यौरा सारणी में दिया गया है। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एसईईपीजेड को अनुमोदित की जाने वाली मात्रा के संबंध में एफएआर आदि को ध्यान में रखते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रदान करने का भी निदेश दिया है, औपचारिक अनुमोदन जारी किया जा सकता है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विकास आयुक्त ने कहा है कि अनुदेश संख्या 30 के अनुसार, एफएआर का 60 प्रतिशत गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आवासीय अपार्टमेंट के रूप में अनुमत है। अनुदेश में निर्धारित मानदंड आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए परिकल्पित न्यूनतम क्षेत्रफल से संबंधित है। वर्तमान मामले में एसईजेड का अधिसूचित क्षेत्रफल 17.1890 हेक्टेयर है तथा प्रसंस्करण क्षेत्र 60 प्रतिशत और गैर प्रसंस्करण क्षेत्र 40 प्रतिशत है। प्रसंकरण क्षेत्र में प्रक्षेपित निर्मित क्षेत्र लगभग 1,04,000 वर्गमीटर है और गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 67,000 वर्गमीटर है। इसका 60 प्रतिशत 40,200 वर्गमीटर बनता है। उनके द्वारा उल्लिखित आवास एवं आवासीय अपार्टमेंट (टाइप ए, बी और सी) की कुल आवश्यकता 49,484.05 वर्गमीटर है। तथापि, एसईईपीजेड प्रशासन ने 38,484.05 वर्गमीटर पर आवासीय आवास के निर्माण की सिफारिश की थी जो ऊपर उल्लिखित 40,200 के अनुमत मानदंड के अंदर है। 9 अप्रैल 2010 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने 24742 वर्गमीटर पर आवास एवं आवासीय अपार्टमेंट के लिए अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया था जो 40200 वर्गमीटर के उपर्युक्त अनुमत सीमा

के अंदर है। प्रसंस्करण क्षेत्र में सृजित गतिविधियों के स्तर के आधार पर बाद में शेष 15,458 वर्गमीटर पर विचार किया जा सकता है। विकास आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार पात्रता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्ग मीटर में)	कुल पात्रता (वर्ग मीटर में)	अनुमोदन बोर्ड प्रदान प्रदान की अनंतिम अनुज्ञप्ति (वर्ग मीटर में)	मांगी गई अतिरिक्त अनुज्ञप्ति (वर्ग मीटर में)
1	आवास एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 420 ड्वेलिंग यूनिट के साथ 10 टावर वाले टाइप ए अपार्टमेंट	22260	40,000 कुल पात्रता एनपीए में)	11130	लागू नहीं
2	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 42 ड्वेलिंग यूनिट के साथ 1 टावर वाले टाइप बी अपार्टमेंट	2013.55		1007	लागू नहीं
3	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 420 ड्वेलिंग यूनिट के साथ 15 टावर वाले टाइप सी अपार्टमेंट	25210.50		12605	लागू नहीं है

विकास आयुक्त ने सिफारिश की है कि आवासीय अपार्टमेंट (टाइप ए, बी और सी) के निर्माण के लिए विकासक के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है क्योंकि 9 अप्रैल 2010 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनंतिम रूप से मंजूरी प्रदान की गई है। प्रसंस्करण क्षेत्र में सृजित गतिविधि के स्तर के आधार पर शेष 14,458 वर्गमीटर पर विचार किया जा सकता है।

विचार / निदेश के लिए विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 40.10 :</u> गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अतिथि गृह / सर्विस अपार्टमेंट के स्थान पर होटल के निर्माण के लिए मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में 15.0877 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड अधिसूचित हो गया है। 11 फरवरी 2010 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए मंजूरी प्रदान की थी :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्ग मीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्ग मीटर में)
1.	अतिथि गृह / सर्विस अपार्टमेंट	37000	एफएआर के रूप में 100 प्रतिशत रखते हुए गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 10000

			वर्गमीटर या फ्लोर स्पेस का 55 प्रतिशत, जो भी कम हो।

उल्लेखनीय है कि विकासक ने 37000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में होटल के लिए अनुरोध किया था। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने होटल के स्थान पर केवल अतिथि गृह / सर्विस अपार्टमेंट के लिए मंजूरी प्रदान की। विकासक ने अपने आवेदन दिनांक 13 अप्रैल 2010 के माध्यम से इस बात का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया है कि बायोटेक उत्पद्दों एवं सेवाओं के लिए स्थापित की जाने वाली औद्योगिक यूनिटों के लिए एसईजेड में सभी इन-कैंपस सुविधा होगी। तद्नुसार उन्होंने बताया है कि कामकाजी तथा सार्वजनिक सुविधाओं के अलावा वे एक बायोटेक एसईजेड होटल के रूप में प्रवास की विश्व स्तरीय ऑफ वर्क सुविधा भी स्थापित करना चाहते हैं जो ऐसे सभी मानकों को पूरा करती है जिनका इस उद्योग की वैश्विक कंपनियां पूर्वानुमान लगा सकती हैं और मांग कर सकती हैं। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी के प्रसंसकरण क्षेत्र में कार्य 24x7 मोड में होता है क्योंकि कार्य के बाद दिन के शुरुआती घंटों और रात्रि के समय चर्चा, बैठक तथा कारोबारी बातचीत जारी रखनी पड़ती है। काम करने का यह परिवेश तभी संभव है जब उसी कैंपस में आन वर्क और ऑफ वर्क प्लेटफार्म मौजूद होंगे और इसलिए प्रस्तावित होटल सुविधा आवश्यक है जिसके बगैर प्रस्तावित जैव प्रौद्योगिकी एसईजेड व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं हो सकता है।

विकास आयुक्त ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है (अनुबंध 9)। अतिथि गृह / सर्विस अपार्टमेंट के स्थान पर होटल के निर्माण के लिए विकासक का अनुरोध विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 40.11 :</u> डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 10.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 13 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	32000

15 दिसंबर, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उक्त अनुरोध पर विचार किया गया था। तथापि, केवल 15000 वर्गमीटर के क्षेत्र के लिए मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद, विकासक ने 15000 वर्गमीटर के स्थान पर 32000 वर्गमीटर के क्षेत्र को अनुमोदित करने के लिए विस्तृत औचित्य प्रदान किया था। 9 अप्रैल 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विकासक के अनुरोध पर विचार किया गया था, जिसका कार्यवृत्त नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है :

> "अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एफएआर की दृष्टि से एसईजेड के लिए अधिकतम अनुमत एफएआर *16000* वर्गमीटर है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक परिसर / कार्यालय स्थान के *32000*

वर्गमीटर के क्षेत्रफल के लिए विकासक के प्रस्ताव को अनुमोदित न करने का निर्णय लिया गया।"

अब विकासक ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित 15000 वर्गमीटर के स्थान पर 32000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल को अनुमोदित करने के लिए पुन: अनुरोध किया है। अन्य बातों के साथ बताया गया है कि हरियाणा राज्य में वाणिज्यिक / कार्यालय स्थान के लिए अनुमत एफएआर गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 1.75 है और अनुमत मानदंडों के अनुसार निर्माण के लिए अनुमत क्षेत्र 37861 वर्गमीटर है जो अनुरोध की गई मात्रा से काफी कम है। विकासक द्वारा प्रस्तुत विस्तृत औचित्य अनुबंध 10 के रूप में संलग्न है। विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस की टिप्पणियां अनुबंध 11 के रूप में संलग्न हैं। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 40.12 :</u> तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए मैसर्स सीसीसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सीसीसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड 179.145 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 23 अप्रैल 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड में साझी अवसंरचना सुविधा के रूप में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का अनुरोध किया है।

विकासक ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त सुविधा के लिए अनुरोध किया है कि एसईजेड तूतीकोरीन क्षेत्र के निकट निर्मित किया जा रहा है जहां ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों द्वारा लागू किए जा रहे वैश्विक कठोर मानकों को देखते हुए यह सुविधा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इसके अलावा विकासक साझी अवसंरचना सुविधा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपर्युक्त सुविधा सृजित करने का इरादा रखता है क्योंकि खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण बहुत महंगा कार्य है। यह भी बताया गया है कि ऐसी सुविधा के लिए ढेर सारे निवेश की आवश्यकता होगी तथा साथ ही एसईजेड में उसका प्रयोग शुरू में कम होगा तथा एसईजेड के अंदर और यूनिटों के आने के साथ ही इसके उपयोग में वृद्धि होगी। तथापि, स्वयं क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधा के लिए ढेर सारी प्रच्छन्न मांग होगी क्योंकि विभिन्न प्रकार की ढेर सारी खाद्य यूनिटें हैं और बंदरगाह पर भी आयात के लिए संगरोध से संबंधित नियमित जांच करने की आवश्यकता होगी।

अत: विकासक ने अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि डीटीए में यूनिटें भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें क्योंकि इससे इस क्षेत्र से समग्र निर्यात में मदद मिलेगी। यह भी बताया गया है कि ऐसे उत्पादों को लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है जो जांच के लिए आते हैं क्योंकि उनका प्रयोग प्रयोगशाला सुविधा द्वारा किया जाएगा और बाद में नष्ट कर दिया जाएगा। उत्पाद की कोई भौतिक वापसी नहीं है तथा केवल जांच रिपोर्ट या प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस प्रकार वाणिज्यिक दृष्टि से संपोषणीय एवं लाभप्रद होने के लिए सुविधा को केवल डीटीए व्यवसाय पर निर्भर होना होगा।

बताया गया है कि इस समय एसईजेड में इस सुविधा के सृजन के लिए एसजीएस, टीयूवी-एसयूडी आदि जैसी अग्रणी जांच एजेंसियों में से कुछ के साथ चर्चा चल रही है तथा इसे एसपीवी के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा जहां एजेंसी सुविधा के सह विकासक के रूप में भी होगी।

विकासक ने कहा है कि कंपनी स्वयं एसईजेड में शामिल यूनिटों के लिए तथा डीटीए के बाहर से आने वाली यूनिटों के लिए दोहरा मूल्य निर्धारण नीति अपनाना चाहती है। दोहरी नीति अपनाने पर निम्नलिखित की आवश्यकता होगी :

क) डीटीए जांच से प्राप्त होने वाले राजस्व के लिए किसी आयकर लाभ का दावा नहीं किया जाएगा।

ख) डीटीए में शामिल यूनिटों के लिए किए गए परीक्षण के लिए यथानिर्धारित सेवाकर प्रभार लगाया जाएगा।

मैसर्स सीसीसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के उपर्युक्त अनुरोध पर विकास आयुक्त, एमईपीजेड की टिप्पणियां अनुबंध 12 के रूप में संलग्न हैं।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 40.13 :</u> केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा आवासीय अपार्टमेंट के प्रयोग की शर्त में छूट के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

आईडीए उप्पल औद्योगिक विकास क्षेत्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 14.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 18 मई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए 01 अगस्त, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी तथा यह शर्त रखी गई थी कि सुविधाएं केवल एसईजेड के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए होंगी :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	आवासीय अपार्टमेंट	200000 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल में 1250 यूनिटें
2.	सर्विस अपार्टमेंट	15000 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल में 250 यूनिटें
3.	व्यवसाय केन्द्र	5000
4.	रिटेल	10000
5.	क्लब जिम आदि	5000
6.	फूड कोर्ट	5000
7.	वाणिज्यिक	5000
8.	मनोरंजन (पार्क आदि)	10000 (केवल खुला स्थान। कोई मल्टीप्लेक्स अनुमत नहीं है)

11 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 38वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विकासक के निम्नलिखित अनुरोध पर विचार किया गया :

क) मैसर्स टॉपनोच प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो इस एसईजेड में अनुमोदित सह विकासक है, के पक्ष में आवासीय अपार्टमेंट को छोड़कर अधिकृत प्रचालनों के लिए उपर्युक्त अनुमोदन को अभ्यर्पित करना; और

ख) केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा आवासीय अपार्टमेंट के प्रयोग की शर्त में ढील देना।

हालांकि अनुमोदन बोर्ड द्वारा उपर्युक्त (क) पर अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई परंतु उपर्युक्त (ख) पर अनुरोध से अनुमोदन बोर्ड सहमत नहीं हुआ।

विकासक ने उपर्युक्त (ख) पर उल्लिखित अपने अनुरोध पर पुनर्विचार करने के लिए पुन अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी बताया है कि केवल एसईजेड के कर्मचारियों के लिए प्रयोग की शर्त को पूरा करने में कुछ समस्याएं / सरोकार हैं क्योंकि आवासीय अपार्टमेंट का प्रयोग एसईजेड के कर्मचारियों तथा उनके रिश्तेदारों, अतिथियों तथा तीसरे पक्षों द्वारा भी किया जाएगा और ऐसे लोग एसईजेड के कर्मचारी नहीं होंगे। इसके अलावा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र गैर बांडेड एरिया है जहां कर्मचारियों से भिन्न बाहरी व्यक्ति अक्सर आते हैं और प्रयोग करते हैं तथा इस बात पर नजर रखना अव्यावहारिक एवं असंभव होगा कि आवासीय अपार्टमेंट का प्रयोग केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। 1 अगस्त 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक जिसने अधिकृत प्रचालनों को संचालित करने के लिए मंजूरी प्रदान की थी, के कार्यवृत्त में केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा सुविधाओं के प्रयोग की शर्त के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा सर्विस अपार्टमेंट और पार्किंग की सुविधाओं के प्रयोग से संबंधित शर्त में मैसर्स इनफार्मेशन टेक्नालाजी पार्क लिमिटेड के मामले में छूट प्रदान की गई है (अनुबंध 13)।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 40.14 :</u> औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) बोलपुर, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स शांतिनिकेतन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी वापस लेना

एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से बोलपुर, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल में 80.334 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सूचना प्रौद्यागिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स शांतिनिकेतन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने यह कहते हुए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है कि कंपनी एसईजेड स्थापित करने की इच्छुक नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम को भूमि अभ्यर्पित भी कर दी है। विकासक का अनुरोध अनुमोद्न बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) पोवई, मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 18 जून, 2009 के माध्यम से पोवई, मुंबई, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने कहा है कि आईटी व्यवसाय के लिए व्यवसाय के परिवेश में परिवर्तन, जो वैश्विक मंदी का परिणाम है, और प्रत्यक्ष कर संहिता तथा माल एवं सेवाकर के विनियमों के तहत कर प्रावधानों में अनिश्चितता के कारण इन निवेशों को डीटीए में करने का निर्णय लिया गया है। अत: विकासक ने उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम कट्टिजेनहल्ली और वेंकटाला, येलहांका होबली, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट स्थापित करने के लिए मैसर्स गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन वापस लेना

एलओए दिनांक 18 जून, 2009 के माध्यम से कट्टिजेनहल्ली तथा वेंकटाला गांव, येलाहंका होब्ली, बंगलौर, कर्नाटक में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स गल्फ ऑयलकॉर्पोशिन लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब विकासक ने कहा है कि वर्तमान बाजार परिदृश्य तथा एसईजेड के अंदर स्थान के लिए कम मांग को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एसईजेड स्थापित करने से पीछे हटने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कंपनी ने एसईजेड के स्थान पर एकीकृत आईटी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। अत: विकासक ने उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 40.15 :</u> विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) शोलिंगनल्लूर, तांबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

शोलिंगनल्लूर, तांबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 18.604 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 3 मई 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उल्लेखनीय है कि एसईजेड की अधिसूचना के बाद कुछ स्थानीय भूखंड स्वामी संगठन ने जिला कलेक्टर तथा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल किया है। उच्च न्यायालय में मामला अभी भी लंबित है। इस बीच संगठन ने इस विभाग से अधिसूचना दिनांक 3 मई 2007 को वापस लेने का भी अनुरोध किया था। यह भी उल्लेखनीय है कि 9 अप्रैल 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में एसईजेड के विवादित अंश को विमुक्त करने तथा भूमि के कुछ अंश को शामिल करने के लिए विकासक के अनुरोध के साथ एसईजेड को विमुक्त करने के लिए संगठन की

अपील पर विचार किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया था कि चूंकि क्षेत्र के स्वामित्व का निस्तारण किया जाना है और यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिए राज्य सरकार की स्पष्ट सिफारिश प्राप्त की जाए और अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत की जाए। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड को पुन: संरेखित करने के लिए विकासक के अनुरोध को आस्थगित कर दिया तथा यह भी निदेश दिया कि विकासक को अंतिम निर्णय लिए जाने तक भूमि पर कोई गतिविधि संचालित नहीं करनी चाहिए।

विकासक ने कहा है कि विवादित क्षेत्र के विमुक्तीकरण की मांग करके मुद्दे का समाधान करने का प्रयास किया गया परंतु अनुमोदन बोर्ड के निदेशों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के पास एसईजेड को विमुक्त कराने की मांग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) जगटाला और बांगला गांव, दक्षिण 24 पगरना जिला, पश्चिम बंगाल में आईटी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

दक्षिण 24 पगरना जिला, पश्चिम बंगाल में 10.1141908 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड द्वारा आईटी के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 9 जनवरी, 2008 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने उद्योग में मंदी के कारण एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने सूचित किया है कि इस एसईजेड से एक भी यूनिट प्रचालन नहीं कर रही है। विकासक ने एसईजेड अधिनियम और नियमावली के तहत प्राप्त किए गए सभी लाभों को लौटाने का भी वचन दिया है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 40.16 :</u> क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) बेहरामपुर गांव, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

बेहरामपुर गांव, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 18.86858 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 4 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने 4.88156 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करने तथा 2.16009 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 21.59005 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने एसईजेड भूमि के एक खास अंश के विरुद्ध दाखिल शिकायत तथा एसईजेड भूमि के विरुद्ध दाखिल मामले के लिए न्यायालय के आदेश के लंबित होने को ध्यान में रखकर विमुक्तीकरण की मांग की है। विकासक ने यह भी कहा है कि उन्होंने कोई ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है। इसके अलावा एसईजेड में एक भी यूनिट क्रियाशील नहीं है। बताया गया है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि पर विकासक का कब्जा है। इसके अलावा विकासक ने कहा है कि भूमि खाली है, संस्पर्शी है और भारग्रस्तता से मुक्त है।

एसईजेड के क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) पेरुंगालातुर गांव, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

पेरुंगालातुर गांव, चेन्नई, तमिलनाडु में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा एसईजेड 28 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 24 सितंबर, 2007 को 13.40.88 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल अधिसूचित क्षेत्रफल 23.40.88 हेक्टेयर हो गया। बाद में 7.75.78 हेक्टेयर का क्षेत्रफल 9 नवंबर 2009 को विमुक्त किया गया। विकासक ने एसईजेड की 5.03.54 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने का पुन: अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का क्षेत्रफल 10.61.56 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने कहा है कि विशेष रूप से आईटी / आईटीईएस उद्योग में वर्तमान वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण आईटी / आईटीईएस उद्योग से कोई मांग नहीं है। विकास आयुक्त ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है तथा यह भी कहा है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के लिए कोई ड्यूटी / कर छूट प्राप्त नहीं की है क्योंकि उस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि अनुरोध किए गए क्षेत्र के विमुक्तीकरण के बाद शेष अधिसूचित क्षेत्र की भूमि संस्पर्शी रहेगी और कोई आम रास्ता नहीं है।

भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) मामबट्टू गांव, टाडा मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में फुटवियर के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स अपाचे एसईजेड डवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मामबट्टू गांव, टाडा मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 126.90 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अपाचे एसईजेड डवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फुटवियर के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 8 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने अधिसूचित क्षेत्र में से 56.4 एकड़ (22.825 हेक्टेयर) भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 257.17 एकड़ (104.0766) हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने कहा है कि प्रस्तावित विमुक्तीकरण एसईजेड में यूनिटों की सहायता के लिए डीटीए यूनिट के टी2 आपूर्तिकर्ताओं को उनके पास के कारखाने में लाने के लिए है। क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(i) हिंदूपुर, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में परिधान के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स नियोजेन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (09 अप्रैल, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

हिंदूपुर, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में 141.65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स नियोजेन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परिधान के लिए विकसित किया जा रहा एसईजेड 13 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने पहले से अधिसूचित क्षेत्र में से 40.80 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने का अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का क्षेत्रफल 100.84 हेक्टेयर हो जाएगा। 9 अप्रैल 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के एजेंडा में विकासक का अनुरोध सूचीबद्ध था तथा आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर आस्थगित कर दिया गया। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि प्रस्तावित विमुक्तीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है (अनुबंध 14)। इसे ध्यान में रखते हुए भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स विवो बायोटेक लिमिटेड का अनुरोध

मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 10.926512 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स विवो बायोटेक लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 27 जनवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में 5.26091 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 16.18742 हेक्टेयर हो जाएगा। शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि पर विकासक का कब्जा है। भूमि खाली है, संस्पर्शी है तथा भारग्रस्तता से मुक्त है। विकास आयुक्त ने स्थल का निरीक्षण किया है तथा विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड द्वारा कट्टूपल्ली गांव, तिरूवल्लूर जिला, तमिलनाडु में 317.715 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 4 दिसंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। 11 फरवरी 2010 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने 108.03 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मंजूरी प्रदान की थी जिसके तहत यह अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है।

क्र. सं.	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	तटीय भूमि	25.05
2.	जल क्षेत्र में जेट्टी के लिए क्षेत्र	61.12
3.	तरंग रोध (बीडब्ल्यू) के लिए क्षेत्र उत्तरी बीडब्ल्यू दक्षिणी बीडब्ल्यू	 10.93 10.93
	कुल	108.03

अब विकासक ने यह कहते हुए अधिसूचित क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के लिए अनुरोध किया है कि कंपनी यह चाहती है कि एसईजेड में पोत निर्माण की सुविधाएं भी स्थापित की जाएं ताकि एसईजेड में प्रभावी ढंग से शिपयार्ड स्थापित किया जा सके। विकासक का भूमि पर कब्जा

है। भूमि संस्पर्शी भी है तथा भारग्रस्तता से मुक्त है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

<u>मद संख्या</u> 40.17 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शमशाबाद, हैदराबाद में अपने औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड का सेक्टर 'एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद' से बदलकर 'बहु सेवा करने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 25 जून 2007 के माध्यम से जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शमशाबाद, हैदराबाद में एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक ने कहा है कि कंपनी एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड के लिए मौजूदा अनुमोदन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के साथ बहु सेवा एसईजेड में परिवर्तित कराना चाहती है क्योंकि चुने गए लोकेशन में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के लिए अपेक्षित सभी पूर्वापेक्षाएं भी मौजूद हैं। अत: विकासक ने सेक्टर को 'एयरपोर्ट अधारित बहु उत्पाद एसईजेड' से 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के साथ बहु सेवा एसईजेड में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) अहमदाबाद, गुजरात में अधिसूचित एसईजेड का सेक्टर 'परिधान' से बदलकर 'वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुएं' करने के लिए गुजरात औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम का अनुरोध

अहमदाबाद, गुजरात में 38.04.13 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 10 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड के सेक्टर को 'परिधान' से बदलकर 'वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुओं' करने के लिए अनुरोध किया है। एसईजेड का सेक्टर बदलने के लिए विकासक द्वारा प्रदान किया गया विस्तृत औचित्य अनुबंध 15 के रूप में संलग्न है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 40.18 :</u> औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(ii) जामिन, पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) खोपोली, देवनहाले गांव, खालापुर तालुक, रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील लिमिटेड का अनुरोध

(iv) ग्राम निमेता, जिला वडोदरा, गुजरात में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स निपियम इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) ग्राम विलायत, वागरा, जिला भड़ूच गुजरात में रसायन (कृषि आधारित) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बायोटॉर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स जयंत ऑयल्स एंड डेरिवेटिव्स लिमिटेड) का अनुरोध

(vi) टिकरी गांव, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

(vii) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड का अनुरोध

(viii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-ए के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ix) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-बी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-सी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 नवंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xi) ग्वाल पहाड़ी गांव, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xii) श्रीपेंरम्बदूर, तमिलनाडु में आईटी / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स फाक्सकॉन इंडिया डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xiii) एन्नोर, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में बहु उत्पद्द एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

(xiv) केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स किनफोटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xv) गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 दिसंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड का अनुरोध

(xv) मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बीए टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xvii) ग्राम मुसलगांव तथा गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

(xviii) सेरलिंगमपल्ली, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवयुग लेगाला एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xix) हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इंटरनेशनल बायोटेक पार्क का अनुरोध विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है तथा विलंब को माफ करने का भी अनुरोध किया है।

(xx) उडुपी कंकसा, पानगढ़, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का अनुरोध विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।

<u>मद संख्या 40.19 :</u> औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) बल्लानडुर अमानी काणे, एयरपोर्ट रोड के विपरीत, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स दिव्यश्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान

किया गया है जो 25 अक्टूबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि वैश्विक मंदी के कारण कंपनी ने परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के समय परिकल्पित ढंग से परियोजना को तेजी से पूरा करने के अपने निर्णय को स्थगित कर दिया है। विकासक ने यह भी कहा है कि राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों को काफी सरल बनाए जाने से मंदी एवं वित्तीय जोखिम पर अंकुश लगा है तथा यह देखते हुए कि अवसंरचना की स्थिति में निकट भविष्य में सुधार होने की संभावना है, कंपनी अब अपनी परियोजना को तेजी से कार्यान्वित कर सकती है। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है।

(ii) ए-III, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बढ़ाने के लिए मैसर्स बंगाल शपूरजी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 23 अगस्त, 2006 के माध्यम से 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 20.2345 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 05 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 22 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने एसईजेड के विकास में कंपनी द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा यह भी सूचित किया है कि इस परियोजना के लिए 136.73 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(iii) फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सेलेक्टो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स हरियाणा टेक्नोलॉजी पार्क) का अनुरोध

विकासक को 17 मार्च 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 3 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एलओए दिनांक 16 जनवरी, 2006 के माध्यम से मंजूरी से अवगत कराया गया था। 3.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 15 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने अन्य बातों के साथ सूचित किया है कि कंपनी हरियाणा सरकार से अंचल निर्माण एवं मास्टर प्लान की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है ताकि भवन योजना प्रस्तुत किया जा सके और फिर निर्माण आरंभ किया जा सके परंतु हरियाणा सरकार द्वारा मास्टर प्लान अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है। विकासक ने कहा है कि यद्यपि परियोजना को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं, कंपनी अपने नियंत्रण से परे विलंब के कारण परियोजना का विकास करने में समर्थ नहीं है। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है।

(iv) ग्राम सिकारपुर, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स लक्सर साइबर सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 27.07845 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 27 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 6 अप्रैल, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि राज्य सरकार से अवसंरचना एवं अनुमोदन प्राप्त करने में विनियामक सहायता के अभाव में कंपनी परियोजना का विकास करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है।

(v) रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स क्लैरिज एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 27 जून, 2006 के माध्यम से 108 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 26 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने अन्य बातों के साथ कहा है कि कंपनी एमआईडीसी से एनओसी प्राप्त करने में असमर्थ रही है क्योंकि प्रस्तावित एसईजेड भूमि का काफी हिस्सा एमआईडीसी के लिए अधिग्रहण के लिए महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 8 जून 2006 में शामिल है। इसके अलावा सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण अधिसूचना दिनांक 10 मई 2009 के माध्यम से सरकार ने अब इस भूमि को अपनी अधिग्रहण सूची से हटा दिया है जिससे कंपनी अग्रेतर आवश्यक कदम उठाने में समर्थ हो गई है। इसके अलावा कंपनी महाराष्ट्र सरकार के सक्षम प्राधिकारियों से सांविधिक अनुमोदन / प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इसे ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(vi) ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 23 अगस्त, 2006 के माध्यम से 28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक के अनुरोध पर एलओए दिनांक 27 नवंबर 2006 के माध्यम से एसईजेड का क्षेत्र घटाकर 12 हेक्टेयर किया गया। 11.7943 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 03 अक्टूबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में क्षेत्रफल की वृद्धि तथा भूमि के कुछ अंश के विमुक्तीकरण को मंजूरी प्रदान की थी। इस प्रकार 10.1326 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इस समय एसईजेड अधिसूचित है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया

गया है जो 22 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि एसईजेड में 160000 वर्गमीटर की कुल अनुमत सीमा में से 130000 वर्गमीटर का निर्माण किया जा चुका है और शेष निर्माण कार्य एक साल के अंदर पूरा हो जाएगा। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है।

(vii) सिरुसेरी, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कॉग्निजैंट टेक्नोलॉजी सोल्यूसंश लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 22 अगस्त, 2006 के माध्यम से 11.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.85 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 22 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि निर्माण की गतिविधियां 14 अप्रैल 2010 से आरंभ हुई हैं तथा उन्होंने 4 मिलियन वर्ग फीट का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। विकासक ने यह भी कहा है कि कंपनी ने दो चरणों में 2 बिलियन वर्ग फीट के निर्माण की योजना बनाई है। विकासक ने चरण 1 की निर्माण गतिविधियों अर्थात एसडीबी 1, 2, 3 कैंटीन और एमएलसीपी सहित 2 मिलियन वर्ग फीट के निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(viii) उप्पल, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 11.735 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 14.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 18 मई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 30 अक्टूबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि कंपनी निम्नलिखित के कारण कार्यान्वयन को पूरा करने में समर्थ नहीं होगी (i) साइट पर कठोर चट्टान जिसकी खुदाई ब्लास्टिंग के माध्यम से नहीं हो सकती है तथा मैनुअल चिसेलिंग द्वारा पूरा किया गया जिसमें अधिक समय लगा है (ii) परियोजना के लिए विभिन्न सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब (iii) बैंकों से वित्त प्राप्त करने में विलंब। विकासक ने यह भी कहा है कि 2 बेसमेंट + स्टिल्ट + 12 फ्लोर के साथ 10 लाख वर्ग फीट से अधिक निर्मित क्षेत्र के साथ एक भवन के लिए संरचना का निर्माण पूरा हो गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(ix) जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स वाटिका जयपुर एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 16 जून, 2006 के माध्यम से 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 20.1366 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 15 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि परियोजना का कार्यान्वयन शुरू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से अक्सेस प्राप्त करने के लिए कंपनी प्रयास कर रही है। कंपनी ने सर्विस रोड से अक्सेस के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनुमति प्राप्त कर ली है। इस समय अध्यक्ष, एनएचएआई से अंतिम अनुमोदन एवं एनओसी की प्रतीक्षा की जा रही है। विकासक ने कहा है कि वाटिका ग्रुप एसईजेड का निर्माण करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है।

(x) वाजुज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 अप्रैल, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स बजाज होल्डिंग्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 100.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 6 अप्रैल, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि परियोजना एवं उसका कार्यान्वयन निम्नलिखित कारणों से विलंबित हुआ है (i) परियोजना कार्य शुरू करने के लिए आरंभिक अनुमोदनों में विलंब (ii) कंपनी का विलय जिसकी वजह से आंतरिक संरचना में परिवर्तन और उक्त परिवर्तनों को मंजूर कराने के लिए अनुमोदन में विलंब (iii) उद्योग में सामान्य आर्थिक एवं वित्तीय मंदी के कारण लेआउट तथा अन्य विनिर्देशनों के लिए बाजार से फीडबैक प्राप्त होने में विलंब। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है।

(xi) गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 अप्रैल, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स उप्पल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 03 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 106.31 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 106.3101.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 31 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 2 अप्रैल, 2010 तक वैध है। विकासक ने यह कहते हुए दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि राज्य सरकार से अवसंरचना एवं अनुमोदन प्राप्त करने में विनियामक सहायता के अभाव में कंपनी परियोजना का विकास करने की स्थिति में नहीं है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक एसईजेड में 341 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है जिसमें 228 करोड़ रुपए की एफडीआई शामिल है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xii) केआर पुरम, बंगलौर उत्तर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 **अक्टूबर**, 2006 **के माध्यम से** 15.5 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो** 25 **अक्टूबर**, 2010 **तक वैध है। विकासक ने कहा है कि वैश्विक मंदी के कारण प्रबंधन ने परियोजना में और पूंजी निवेश न करने तथा 'देखो और प्रतीक्षा करो' की नीति अपनाने का निर्णय लिया है। तथापि, चूंकि मंदी एवं वित्तीय जोखिमों पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों को काफी सरल बनाया गया है तथा आईटी / आईटीईएस सेक्टर में संभावित यूनिटों से सकारात्मक प्रत्युत्तर प्राप्त करने की नीतियां भी सरल बनाई गई हैं, प्रबंधन ने परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्णय लिया है। विकासक ने कहा है कि कंपनी एसईजेड का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा परियोजना को पूरा करने के लिए समय चाहिए। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है।**

<u>मद संख्या 40.20 :</u> सह विकासकों की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) त्रिक्कारा गांव, कन्यान्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) द्वारा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए सह विकासक मैसर्स नेस्ट हाइटेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड में मैसर्स नेस्ट हाईटेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 05 **नवंबर**, 2007 **के माध्यम से सह विकासक के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया था। एलओए की सामान्य शर्त संख्या** viii **के अनुसार, अनुमोदन** 3 **साल के लिए अर्थात** 4 **नवंबर**, 2010 **तक वैध है। तथापि, एलओए की सामान्य शर्त संख्या** xvi **के अनुसार, अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। सह विकासक ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण परियोजना में विलंब हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने जून** 2010 **तक पार्क में सुविधाओं के चरण** 1 **का निर्माण शुरू करने तथा मार्च** 2011 **से शुरुआती वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ करने के लिए कदम उठाया है। विकासक को परियोजना पूरी करने के लिए और समय की आवश्यकता है तथा इसलिए उसने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

<u>मद संख्या</u> <u>40.21 :</u> **सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध**

(i) **कांडला, गुजरात में एफटीडब्ल्यूजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सिगरुन मेगा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

100 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड के विकास के लिए एलओए दिनांक** 30 **अक्टूबर**, 2008 **के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। सैद्धांतिक अनुमोदन** 29 **अक्टूबर** 2009 **तक वैध था। विकासक ने यह कहते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन बढ़ाने के**

लिए अनुरोध किया है कि औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब एसईजेड परियोजना आरंभ करने के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण करते समय उत्पन्न कठिनाइयों के कारण हुआ है। विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 40.22 :</u> सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाना

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड	बहु उत्पाद, 5000 हेक्टेयर	झज्जर जिला, हरियाणा	एलओए दिनांक 15 फरवरी, 2008 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को पहला विस्तार प्रदान किया गया था जो 14 फरवरी 2010 तक वैध था। विकासक ने यह कहते हुए दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि उन्होंने 2800 हेक्टेयर (7000 एकड़) भूमि खरीद ली है। इसके अलावा हरियाणा सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे आसपास बची लगभग 345 हेक्टेयर (849 एकड़) भूमि का अधिग्रहण करें ताकि सन्निकटता स्थापित हो सके। इस मामले में, हालांकि विकासक ने 50 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर लिया है, अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि विकासक ने पहले विस्तार की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।
2.	मैसर्स साउथ कॉस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड (स्किडकैप)	भवन सामग्री, 118 हेक्टेयर	एनएच-5 प्रकाशन और नेल्लौर जिला, आंध्र प्रदेश के बीच	एलओए दिनांक 26 जून, 2008 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को पहला विस्तार प्रदान किया गया था जो 25 जून 2010 तक वैध था। विकासक ने यह कहते हुए दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि उन्होंने 50 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा शेष भूमि का अधिग्रहण उन्नत चरण पर है। इस अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि विकासक ने 60 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है।

मद संख्या 40.23 : प्लास्टिक प्रसंस्करण यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) केएएसईजेड, गांधीधाम में क्रियाशील प्लास्टिक रिसाइक्लिंग यूनिटों के संबंध में मंजूरी पत्र के नवीकरण / अवधि बढ़ाने के लिए केएएसईजेड का अनुरोध

कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम में आयातित प्लास्टिक अपशिष्ट / स्क्रैप की री-प्रोसेसिंग में 22 यूनिटें लगी हुई हैं। पहले अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी पत्र के नवीकरण/ अवधि बढ़ाने के लिए यूनिटों के अनुरोध पर विचार किया गया था और इस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने अगले 5 साल के लिए इन मंजूरी पत्रों की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया था तथा यह शर्त रखी थी कि ये सभी यूनिटें सभी आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करेंगी तथा उनका आयात डीजीएफटी के सार्वजनिक नोटिस संख्या 392/97 दिनांक 1 जनवरी 1997 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा। तद्नुसार आयातित प्लास्टिक अपशिष्ट / स्क्रैप की री-प्रोसेसिंग में शामिल यूनिटों के संबंध में वैधता अवधि 31 अक्टूबर 2010 तक बढ़ाई गई थी। विकास आयुक्त ने यूनिटों तथा उनके निष्पादन का ब्यौरा प्रस्तुत किया जो अनुबंध 16 के रूप में संलग्न है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने कहा है कि कुछ यूनिटों ने मंजूरी पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने अर्थात 31 अक्टूबर 2010 के बाद 5 साल की अगली अवधि के लिए अपने मंजूरी पत्र के नवीकरण / अवधि बढ़ाने के लिए संपर्क किया है।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18 के उप नियम 4 के तहत प्लास्टिक स्क्रैप या अपशिष्ट की री-साइकलिंग के लिए प्रस्ताव पर निर्णय अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए जाएंगे। तद्नुसार अनुबंध 16 के अनुसार, एलओए की अवधि समाप्त होने की तिथि अर्थात 31 अक्टूबर 2010 से अगली 5 साल की अवधि के लिए उनके एलओए के नवीकरण / अवधि बढ़ाने के लिए आयातित प्लास्टिक अपशिष्ट / स्क्रैप के पुन: प्रसंस्करण में शामिल यूनिटों का अनुरोध विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) एफएसईजेड में यूनिट मैसर्स प्रिसीजन पोलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी का नवीकरण

36000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता के साथ प्लास्टिक फ्लूर के निर्माण और आयात के लिए फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के लिए 18 दिसंबर 1997 को मैसर्स प्रिसीजन पोलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी प्रदान की गई थी। यूनिट ने 02 जून, 1998 को उत्पादन शुरू किया था। प्रचालन के पांच वर्ष के पहले ब्लाक के पूरा होने पर 2 जून 2003 से 5 साल की अगली अवधि के लिए एलओपी का नवीकरण किया गया था। इसके बाद 1 अगस्त 2008 और 19 जून 2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा एक एक साल के लिए दो बार अवधि बढ़ाई गई है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 1 जून 2010 तक वैध है।

यूनिट ने प्रचालन के तीसरे ब्लाक में 3 साल की शेष अवधि के लिए अपने एलओपी के नवीकरण के लिए अनुरोध किया है। एसईजेड ने 2003-04 से 2007-08 तक यूनिट के विदेश व्यापार निष्पादन का ब्यौरा प्रदान किया है जो इस प्रकार है :

1. निर्यात : **4568.82 लाख रुपए**
2. आयात (कुल बहिर्प्रवाह) : **4038.87 लाख रुपए**
3. एनएफई अर्जन : **529.95 लाख रुपए**

एसईजेड द्वारा सूचित किया गया है कि 5 साल के तीसरे ब्लाक में प्रचालन के पहले दो वर्षों के दौरान अर्थात 2008-09 (जून 2008 से मार्च 2009) के दौरान तथा वित्त वर्ष 2009-10 (अप्रैल 2009

से मार्च 2010) के दौरान यूनिट ने क्रमश: 10.41 करोड़ रुपए और 27.69 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया है [नियम 53 ए (ए) के अनुसार ईईएफसी लेखा में डीटीए बिक्री द्वारा]। इसके अलावा, इस यूनिट में 1200 से अधिक अकुशल मजदूर काम कर रहे हैं जिसमें से 60 प्रतिशत से अधिक कामगार महिलाएं हैं।

विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट ने 2 जून 2008 से 5 साल के तीसरे ब्लाक के लिए विदेश व्यापार निष्पादन का संशोधित ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है :

1.	निर्यातों का एफओबी मूल्य	20448 लाख रुपए
2.	आयातित सीजी का सीआईएफ मूल्य	शून्य
3.	आयातित आरएम और कंपोनेंट का सीआईएफ मूल्य	17280 लाख रुपए
4.	आयातित स्पेयर और उपभोज्य वस्तुओं का सीआईएफ मूल्य	शून्य
5.	लाभांशों का प्रत्यर्पण	शून्य
6.	भारतीय तकनीशियनों के प्रशिक्षण पर भुगतान	शून्य
7.	विदेश यात्रा	12 लाख रुपए
8.	निर्यात पर कमीशन	शून्य
9.	कोई अन्य भुगतान	शून्य
10.	एनएफई अर्जन	3108 लाख रुपए

प्रचालन के तीसरे ब्लाक के शेष तीन साल (2 जून 2010 से 1 जून 2013) की अगली अवधि के लिए एलओपी के नवीकरण के लिए यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा एसईजेड में यूनिट के संबंध में अगले 5 वर्षों के लिए एलओए का नवीकरण

मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लास्टिक एगलोमरेट्स / ग्रेन्यूल्स के निर्यात उत्पादन के लिए एलओपी का धारक है। यूनिट का एलओपी 31 मार्च, 2010 तक वैध था।

एनएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने एनएसईजेड से प्रचालन के पहले 10 वर्ष 31 मार्च 2008 को पूरे किए हैं और इसके बाद अनुमोदन बोर्ड द्वारा एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18 (4) (क) के अनुसरण में समय समय पर वार्षिक / छमाही आधार पर एलओए की वैधता अवधि बढ़ाई गई है तथा एलओए 31 मार्च 2010 तक वैध था। यूनिट द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए प्रक्षेपित निर्यात, आयात और एनएफई इस प्रकार है :

1.	पांच वर्षों के दौरान निर्यात	21914.06 लाख रुपए
2.	पूंजी माल का आयात :	शून्य
3.	कच्चे माल का आयात :	15778.13 लाख रुपए
4.	निर्यात पर कमीशन	शून्य
5.	विदेश यात्रा	25.00 लाख रुपए
6.	एनएफई अर्जन :	6110.94 लाख रुपए

1 अप्रैल 2010 से एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 40.24 : चीनी / कच्ची चीनी के भंडारण और व्यापार (आयात / निर्यात) के लिए एमपीएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स रेणुका एग्रीवेंचर लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एमपीएसईजेड ने सूचित किया है कि मैसर्स रेणुका एग्रीवेंचर लिमिटेड ने चीनी / कच्ची चीनी के भंडारण तथा व्यापार (आयात / निर्यात) के लिए एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया है। आवेदक ने विदेश से चीनी / कच्ची चीनी का आयात करने तथा उसे एसईजेड में भंडारित करने और फिर उसे निर्यात करने का प्रस्ताव किया है। विकास आयुक्त ने कहा है कि इस संबंध में राय प्राप्त करने के लिए संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, नई दिल्ली के पास संदर्भ भेजा गया था कि क्या चीनी के व्यापार अर्थात डीटीए प्रापण और डीटीए बिक्री को छोड़कर आयात और निर्यात के लिए मैसर्स रेणुका एग्रीवेंचर लिमिटेड को एलओए प्रदान किया जा सकता है। डीजीएफटी ने अब स्पष्ट किया है कि इस समय चीनी के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं तथा चीनी आयात की सभी संविदाओं को अपेडा के यहां पंजीकृत कराने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यह कि निर्यात लाइसेंस नोट के अधीन चीनी का निर्यात फ्री है, जिसके तहत अन्य बातों के साथ यह आवश्यक है कि मर्चेंट आयातक / निर्यातक मुख्य निदेशक (चीनी), चीनी निदेशालय या मुख्य निदेशक (चीनी) द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी से निर्यात निर्मुक्ति आदेश प्राप्त करे तथा प्रस्तावित एसईजेड यूनिट मर्चेंट आयातक / निर्यातक की श्रेणी में आएगी।

मैसर्स रेणुका एग्रीवेंचर लिमिटेड के प्रस्ताव पर यूनिट अनुमोदन समिति (यूएसी) में विचार किया गया तथा समिति ने इस विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 के अनुसरण में प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड के पास भेजने का निर्णय लिया, जिसमें यह प्रावधान है कि प्रतिबंधित / निषिद्ध मदों का आयात / निर्यात अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के अधीन एसईजेड में अनुमत है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुरोध किया है कि मैसर्स रेणुका एग्रीवेंचर लिमिटेड के प्रस्ताव को विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

मद संख्या **40.25** : टूटे - फूटे / प्रयुक्त पुनर्चक्रणीय उत्पाद मिश्रण असेसरीज अर्थात बेल्ट, पर्स, बैकपैक, साफ्ट टॉय, हार्ड टॉय को शामिल करने की अनुमति प्रदान करने हेतु ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स मारूती एक्सपोर्ट्स का अनुरोध

पुन: निर्यात के लिए टूटे फूटे / प्रयुक्त / सरप्लस जूतों के आयात के लिए 30 जुलाई 1997 को मैसर्स मारूती एक्सपोर्ट्स, कांडला एसईजेड में यूनिट को अनुमति पत्र प्रदान किया गया था। यूनिट ने 01 सितंबर 1999 को उत्पादन शुरू किया। वर्ष 2005-06 के लिए निर्यात का टर्नओवर 7.69 करोड़ रुपए और 2006-07 में 15.25 करोड़ रुपए था। कंपनी ने विदेशी संस्था को सेवा प्रदान करने के लिए ब्राड बैंडिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। 22 सितंबर 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामले पर विचार किया गया और विदेशी संस्था को सेवाएं प्रदान करने हेतु ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स मारूती एक्सपोर्ट्स के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया तथा शर्त यह रखी गई कि कोई डीटीए बिक्री नहीं होगी और यह भी शर्त रखी गई कि आयात के साथ एक दर एक मिलान में निर्यात किया जाएगा और सभी रीकंडीशंड या रिपेयर्ड या रीइंजीनियर्ड उत्पाद और स्क्रैप या अवशेष या अपशिष्ट का निर्यात किया जाएगा तथा इनमें से किसी को डीटीए

में एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18 (4) (घ) के परंतुक के अनुसार बेचने या नष्ट करने की अनुमति नहीं होगी।

आगे चलकर, संयुक्त विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने कहा है कि विकसित देशों में जूतों के कम संग्रहण, कड़ी प्रतिस्पर्धा, फ्रेट की ऊंची लागत के कारण कांडला में प्रोसेसिंग के लिए केवल टूटे फूटे / प्रयुक्त जूतों की उपलब्धता कम होगी। यूनिट ने कांडला एसईजेड से विदेशों में 100 प्रतिशत निर्यात के लिए रीकंडिशनिंग, सार्टिंग एवं रीलेबलिंग के लिए टूटे फूटे / प्रयुक्त जूतों के साथ टूटे फूटे / प्रयुक्त पुनर्चक्रणीय उत्पाद मिश्रण असेसरीज अर्थात बेल्ट, पर्स, बैकपैक, हार्ड टॉय एवं साफ्ट टॉय की आपूर्ति करने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया। यूनिट ने एसईजेड को यह भी सूचित किया है कि विदेशों से टूटे फूटे / प्रयुक्त जूतों के साथ उपर्युक्त सभी उत्पादों की आपूर्ति करने का उद्देश्य विकसित देशों की ऊंची लागत श्रम में बचत करना है। 11 अगस्त 2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया था। अनुमोदन बोर्ड का निर्णय निम्नानुसार है :

> "बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड को यूनिट द्वारा किए गए भौतिक निर्यात के मुद्दे की जांच करने का निदेश दिया। तद्नुसार बोर्ड ने टूटे-फूटे / प्रयुक्त पुनर्चक्रणीय उत्पाद मिश्रण असेसरीज अर्थात बेल्ट, पर्स, बैकपैक, साफ्ट टॉय, हार्ड टॉय को शामिल करने की अनुमति प्रदान करने हेतु ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स मारूती एक्सपोर्ट्स के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

पिछले तीन वर्षों (1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2009) के लिए केएएसईजेड द्वारा प्रस्तुत यूनिट का निष्पादन इस प्रकार है :

			(आंकड़े लाख में)
(i)	भौतिक निर्यात	:	7140.55
(ii)	डीम्ड एक्सपोर्ट	:	0.00
(iii)	पूंजी माल डेबिट	:	5.96
(iv)	आयातित कच्चे माल / इनपुट का प्रयोग	:	6775.68
(v)	एनएफई अर्जन	:	(+) 358.91

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 40.26 :</u> अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट का एलओपी निरस्त करने के लिए अनुमोदन समिति, आईएसईजेड के आदेश दिनांक 23 दिसंबर 2009 के विरुद्ध आईएसईजेड की यूनिट मैसर्स न्यू टेक अब्रेसिव लिमिटेड की अपील

मैसर्स न्यू टेक अब्रेसिव लिमिटेड ने यूनिट के एलओपी को निरस्त करने के लिए अनुमोदन समिति, आईएसईजेड के आदेश दिनांक 24 दिसंबर 2009 के विरुद्ध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। निर्यात के लिए स्टील इनगॉट, शॉट तथा ग्रिट के विनिर्माण के लिए यूनिट को 22 दिसंबर 2005 को एलओपी प्रदान की गई थी। यूनिट ने कहा है कि 30 नवंबर 2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि यूनिट ने दस्तावेजों में गलत घोषणा के माध्यम से

केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और मूल्यवर्धित (वैट) का भुगतान नहीं किया है और इस प्रकार कस्टम स्पेशल एडिशनल ड्यूटी (एसएडी) का भुगतान नहीं किया है। यह भी आरोप लगाया गया कि आईएसईजेड के कस्टम प्राधिकारियों तथा वाणिज्यिक कर प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए क्लियरेंस के आंकड़ों में 57.58 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया है। कारण बताओ नोटिस के जवाब में यूनिट ने एसएडी, वैट, सीएसटी का भुगतान न करने के आरोपों से इन्कार किया है। यूनिट ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसईजेड द्वारा प्रदान किए गए क्लियरेंस के आंकड़ों में 57.58 करोड़ रुपए का अंतर इस कारण से है कि वे व्यापार की गतिविधि में भी शामिल हैं और चूंकि व्यापार की गतिविधि पर कस्टम ड्यूटी लागू नहीं है इसलिए अंतर आया है। यूनिट ने कहा है कि एसईजेड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी शर्त एवं नियम या बाध्यता जिसके अधीन एलओपी प्रदान की गई है, के लगातार उल्लंघन के आधार पर एलओपी निरस्त की जा सकती है। तथापि, वर्तमान मामले में यूनिट ने एलओपी के किसी शर्त या नियम का उल्लंघन नहीं किया है। यूनिट ने कहा है कि लगातार उल्लंघन अन्य कानूनों जेसे कि सीमा शुल्क अधिनियम, पर्यावरण कानून आदि के तहत दंडनीय नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन से संबंधित नहीं हो सकता है। यूनिट ने यह भी कहा है कि उनका मामला लगातार उल्लंघन का मामला नहीं है क्योंकि उनको पहली बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह भी बताया गया है कि एलओए के निरसन की वजह से यूनिट बंद हो गई है जिससे उत्पादन को निलंबित करना पड़ा है तथा कारखाना के मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। यूनिट ने यह भी सूचित किया है कि यूनिटों में कुल निवेश 33 करोड़ रुपए है और अब एलओपी के निरसन से प्लांट एवं मशीनें बेकार पड़ी हैं जिससे न केवल यूनिट को भारी नुकसान होगा अपितु उस वित्तीय संस्था को भी भारी नुकसान होगा जिसने यूनिट को वित्तीय सहायता मंजूर की है। इसलिए यूनिट ने आदेश दिनांक 23 दिसंबर 2009 के निर्णय को अपास्त करने की प्रार्थना की है।

यूनिट ने इंदौर में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रिट याचिका भी दाखिल की थी जिसमें आदेश दिनांक 23 दिसंबर 2009 के प्रचालन पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया है परंतु अनुमोदन बोर्ड को आर्डर दिनांक 19 अप्रैल 2010 से एक माह की अवधि के अंदर अपील का निर्णय करने का निदेश दिया है। विकास आयुक्त, आईएसईजेड द्वारा मामले का बचाव करने वाले सरकारी वकील से अनुरोध किया गया है कि वे माननीय उच्च न्यायालय से यह अवधि बढ़वाएं। विकास आयुक्त, आईएसईजेड की टिप्पणियां अनुबंध 18 के रूप में उपलब्ध हैं। यूनिट की अपील विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) यूनिट का एलओपी निरस्त करने के लिए अनुमोदन समिति, आईएसईजेड के आदेश दिनांक 23 दिसंबर 2009 के विरुद्ध आईएसईजेड की यूनिट मैसर्स न्यू टेक पाइप्स लिमिटेड की अपील

मैसर्स न्यू टेक पाइप्स लिमिटेड ने यूनिट के एलओपी को निरस्त करने के लिए अनुमोदन समिति, आईएसईजेड के आदेश दिनांक 23 दिसंबर 2009 के विरुद्ध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है (अनुबंध 19)। निर्यात के लिए ईआरडब्ल्यू पाइप और मेकेनिकल पाइप के विनिर्माण के लिए यूनिट को 24 मई 2007 को एलओपी प्रदान की गई थी। यूनिट ने कहा है कि 30 नवंबर 2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि यूनिट ने दस्तावेजों में गलत घोषणा के माध्यम से केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और मूल्यवर्धित (वैट) का भुगतान नहीं किया है और इस प्रकार कस्टम स्पेशल एडिशनल ड्यूटी (एसएडी) का भुगतान नहीं किया है। यह भी आरोप लगाया गया कि आईएसईजेड के कस्टम प्राधिकारियों तथा वाणिज्यिक कर प्राधिकारियों द्वारा प्रदान

किए गए क्लियरेंस के आंकड़ों में 5.04 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया है। कारण बताओ नोटिस के जवाब में यूनिट ने एसएडी, वैट, सीएसटी का भुगतान न करने के आरोपों से इन्कार किया है। यूनिट ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसईजेड द्वारा प्रदान किए गए क्लियरेंस के आंकड़ों में 5.04 करोड़ रुपए का अंतर इस कारण से है कि वे व्यापार की गतिविधि में भी शामिल हैं और चूंकि व्यापार की गतिविधि पर कस्टम ड्यूटी लागू नहीं है इसलिए अंतर आया है। यूनिट ने कहा है कि एसईजेड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी शर्त एवं नियम या बाध्यता जिसके अधीन एलओपी प्रदान की गई है, के लगातार उल्लंघन के आधार पर एलओपी निरस्त की जा सकती है। तथापि, वर्तमान मामले में यूनिट ने एलओपी के किसी शर्त या नियम का उल्लंघन नहीं किया है। यूनिट ने कहा है कि लगातार उल्लंघन अन्य कानूनों जेसे कि सीमा शुल्क अधिनियम, पर्यावरण कानून आदि के तहत दंडनीय नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन से संबंधित नहीं हो सकता है। यूनिट ने यह भी कहा है कि उनका मामला लगातार उल्लंघन का मामला नहीं है क्योंकि उनको पहली बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह भी बताया गया है कि एलओए के निरसन की वजह से यूनिट बंद हो गई है जिससे उत्पादन को निलंबित करना पड़ा है तथा कारखाना के मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। यूनिट ने यह भी सूचित किया है कि यूनिटों में कुल निवेश 40 करोड़ रुपए है और अब एलओपी के निरसन से प्लांट एवं मशीनें बेकार पड़ी हैं जिससे न केवल यूनिट को भारी नुकसान होगा अपितु उस वित्तीय संस्था को भी भारी नुकसान होगा जिसने यूनिट को वित्तीय सहायता मंजूर की है। इसलिए यूनिट ने आदेश दिनांक 23 दिसंबर 2009 के निर्णय को अपास्त करने की प्रार्थना की है।

यूनिट ने इंदौर में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रिट याचिका भी दाखिल की थी जिसमें आदेश दिनांक 23 दिसंबर 2009 के प्रचालन पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया है परंतु अनुमोदन बोर्ड को आर्डर दिनांक 19 अप्रैल 2010 से एक माह की अवधि के अंदर अपील का निर्णय करने का निदेश दिया है। विकास आयुक्त, आईएसईजेड द्वारा मामले का बचाव करने वाले सरकारी वकील से अनुरोध किया गया है कि वे माननीय उच्च न्यायालय से यह अवधि बढ़वाएं। विकास आयुक्त, आईएसईजेड की टिप्पणियां अनुबंध 18 के रूप में उपलब्ध हैं। यूनिट की अपील विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 40.27 :</u> संस्पर्श में छूट

(i) संस्पर्श तथा अनेक प्रवेश / निकास द्वारों के संबंध में एलओए की शर्तों में ढील देने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 30 जुलाई 2007 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। उपर्युक्त एसईजेड 1233.6767 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 21 नवंबर 2007 को अधिसूचित किया गया था। 5 नवंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक के निम्नलिखित अनुरोध पर विचार किया गया :

क) सन्निकटता सुनिश्चित करने के लिए मूलत: लगाई गई शर्त में ढील देना;
ख) अंडर पास के निर्माण की शर्त में ढील देना, जिसके लिए उन्होंने ग्राउंड पर सुरक्षित संपर्क का सुझाव दिया है; और

ग) द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में उनके बहु उत्पाद एसईजेड में 7 मल्टी इंट्री / एग्जिट प्वाइंट के निर्माण के लिए अनुमोदन (उपर्युक्त ख के माध्यम से मांगी गई छूट को ध्यान में रखते हुए);

घ) प्रसंस्करण क्षेत्रों के बीच सन्निकटता स्थापित करने के लिए फ्लाईओवर के स्थान पर दो स्काई वाक को मंजूरी प्रदान करना।

11 फरवरी 2010 को आयोजित पिछली बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुरोध पर विचार किया गया था जिसमें राजस्व विभाग (सीबीईसी) के प्रतिनिधि ने कहा कि अनेक मुद्दों पर मुख्य आयुक्त की रिपोर्ट मंगाई गई है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करने के कार्य को आस्थगित कर दिया तथा सीबीईसी को निदेश दिया कि दो सप्ताह के अंदर मुख्य आयुक्त की रिपोर्ट अवश्य प्राप्त कर ली जाए जिसके बाद विकास आयुक्त, एनएमएसईजेड और मुख्य आयुक्त की रिपोर्ट की फाइल पर जांच की जाएगी। तथापि, मुख्य आयुक्त से रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

<u>मद संख्या 40.28 :</u> **अनुमोदन बोर्ड द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन**

(i) एपीआईआईसी द्वारा महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल फार्मुलेशन के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी से अवगत कराने वाले एलओए दिनांक 22 दिसंबर 2009 में संशोधन के लिए मैसर्स हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड का अनुरोध

महबूब नगर जिला, आंध्र प्रदेश में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एपीआईआईसी द्वारा फार्मास्युटिकल फार्मुलेशन एसईजेड 13 जून 2007 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड को 1 अगस्त 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया है। 15 दिसंबर 2009 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए मंजूरी प्रदान की थी :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल
1.	भाप का उत्पादन एवं वितरण	5 टन / 10.5 वर्ग सेंटीमीटर / सेकंड
2.	कंप्रेस्ड एयर का उत्पादन एवं वितरण	800 सीएफएम
3.	सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक उपलब्ध कराना	120 केएल
4.	हॉट वाटर का उत्पादन एवं वितरण	20000 किलोवाट प्रति घंटा
5.	एयर कंडीशनिंग की सुविधा	1000 टीआर
6.	तोल सेतु उपलब्ध कराना	40 टन
7.	सामान्य कैंटीन भवन का निर्माण	200 वर्गमीटर
8.	यूटिलिटी ब्लाक का निर्माण	675 वर्गमीटर
9.	विश्राम कक्ष का निर्माण	340 वर्गमीटर
10.	लांड्री की सुविधा	100 वर्गमीटर

बाद में सह विकासक के नोटिस में यह लाया गया कि प्रसंस्करण क्षेत्र में, न कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में उनके द्वारा उपर्युक्त प्रचालनों का अनुरोध किया गया था, जैसा कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। सह विकासक ने कहा है कि कंपनी ने फार्मास्युटिकल यूनिटों जो

आवंटित क्षेत्र में आ रही हैं, द्वारा अपेक्षित साझी अवसंरचना सुविधाओं के विकास के प्रयोजनार्थ एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड से सह विकासक का दर्जा प्राप्त किया है। इसलिए सह विकासक ने एलओए में संशोधन करने का अनुरोध किया है ताकि वे एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों का संचालन कर सकें।

फाइल पर सह विकासक के अनुरोध की जांच की गई तथा विकासक द्वारा मांग के अनुसार एलओए में संशोधन जारी किया गया है। यह सूचना / पुष्टि के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) रामदासपुर, कटक जिला, ओडिशा में एसईजेड के वर्तमान सेक्टर ''सोलर पीवी'' से ''पीवी'' शब्द हटाने के लिए मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 31 दिसंबर 2009 के माध्यम से रामदासपुर, कटक जिला, ओडिशा में 101 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ''सोलर पीवी'' के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक ने कहा है कि सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के समय सेक्टर का उल्लेख फार्म 'ए' में "सोलर एसईजेड" के रूप में किया गया था। तथापि, औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के समय फार्म 'ए' में गलती से सेक्टर का नाम "सोलर" के स्थान पर "सोलर पीवी" लिख दिया गया। इसकी वजह से "सोलर" सेक्टर के स्थान पर "सोलर पीवी" सेक्टर के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। विकासक ने यह भी कहा है कि एसईजेड कैप्टिव एसईजेड होगा जिसमें सोलर फोटोवाल्टिक माड्यूल, संबद्ध इनपुट सामग्री / इंटरमीडिएट जैसे कि हाई प्यूरिटी पोलीक्रिस्टालीन सिलिकॉन, सिलिकॉन इंगॉट्स / वैफर्स, सोलर फोटोवाल्टिक सेल्स आदि सोलर पावर जेनरेशन के उत्पादों तथा अन्य संबद्ध उत्पादों / उपोत्पादों का पूर्णत: एकीकृत विनिर्माण करने का इरादा है। अत: विकासक ने वर्तमान सेक्टर "सोलर पीवी" से "पीवी" शब्द हटाने का अनुरोध किया है।

फाइल पर विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई है। यह सूचना / पुष्टि के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

***